

कृषिपर परिपत्र सं०-14150/83 दि० 27-08-2014

परिपत्र संख्या-फार्म-अनु०-मुद्रण फार्म-21/(2014-15)

805

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ// दिनांक// 26 अगस्त//2014

आदेश अन्तर्गत नियम-40(17)उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008

परिपत्र संख्या-फार्म अनुभाग-2011-12 / 102 / 1112049 / वाणिज्य कर दिनांक 23-08-2011 एवं परिपत्र संख्या -1112065 दिनांक 30-09-2011 से उत्तर प्रदेश वैट नियमावली के नियम-40 के उपनियम-17 के अन्तर्गत विभागीय बेवसाइट से फार्म-21(ट्रान्सपोर्ट मेमो) डाउन लोड कर प्रयोग किये जाने और परिपत्र संख्या-1112084, दि० 30-12-2011, परिपत्र संख्या-1213001, दि० 02-04-2012, परिपत्र संख्या-1213026, दि० 30-06-2012, परिपत्र संख्या-1213080, दि० 28-12-2012, परिपत्र संख्या-206 / 1213099 / दि० 21-03-2013, परिपत्र संख्या-468 / 1314051 / दि० 27-09-2013, परिपत्र संख्या-482 / 1314074, दि० 30-10-2013, परिपत्र संख्या- 488/1314080, दि० 14-11-2013, परिपत्र सं०-498/ 1314088, दि० 29-11-2013, परिपत्र संख्या -511 / 1314097, दि० 13-12-2013, परिपत्र संख्या-534 / 1314108, दि० 02-01-2014, परिपत्र संख्या-554/ 1314126, दि० 03-02-2014, परिपत्र सं० 587 / 1314131 / दि० 24-02-2014, परिपत्र संख्या-620 / 1314145 / दि० 30-03-2014, परिपत्र सं०- 644 / 1415012/, दि० 29-04-2014, परिपत्र सं०-682 / 1415024 / दि० 02-06-2014, परिपत्र सं०-729/ 1415036/दि० 23-06-2014 एवं परिपत्र सं०-771 / 1415056 / दि० 28-07-2014 के अन्तर्गत उक्त डाउनलोडेड फार्म या मुद्रित फार्म अथवा शासन से निर्धारित किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी विज्ञापित माल के परिवहन की व्यवस्था दिनांक 31-08-2014 तक प्रभावी की गयी थी।

2- विभिन्न व्यापारिक संगठनों के अनुरोध एवं राजस्व हित में उक्त बेवसाइट से डाउनलोडेड प्रपत्र-21 या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्गत मुद्रित प्रपत्र-21 अथवा विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत भी विज्ञापित माल के परिवहन की व्यवस्था दिनांक 30-09-2014 तक के लिये प्रभावी की जाती है।

Mh
26.8.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
ok

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- मा० अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- निदेश, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष / निबन्धक, उ०प्र० वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ एवं समस्त सदस्य।
- 6- प्रबन्धक, इसेंटिव पिकप, राणा प्रताप मार्ग / सहा० निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ।

